

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(सुबे सिंह यादव, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

10/20118

महावीर प्रसाद पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक राज०

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 19.02.2018

अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 15.11.2017 को प्रेषित कर अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

ग्राम पंचायत चारनेट मे दिनांक 09.11.2017 को श्री रामअवतार चौधरी ई.आई. द्वारा की गयी जांच की जांच रिपोर्ट उपभोक्ताओं के बयान सहित प्रमाणित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का श्रम करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 302 दिनांक 15.02.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 1124 दिनांक 16.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 12.01.2018 से सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
टोंक